भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3687
11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या की स्थिति

3687. श्री महेश साहू:
श्री रमेश बिन्द:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा औसतन कितनी जनसंख्या घनत्व को सेवा प्रदान की जाती है;
(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में कार्यशील ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की ओडिशा में जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ङ) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई; और
(च) ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन किया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): भारत में, देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी एवं ग्रामीण) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी एवं ग्रामीण) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभों के रूप में निहित है।

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी क्षेत्र) और 3000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र) की आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 (मैदानी क्षेत्र) और 20,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र) की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) और 80,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र) की आबादी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने का सुझाव है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्र के लिए 15,000 से 20,000 की शहरी आबादी पर एक शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र, 30,000 से 50,000 की शहरी आबादी के लिए एक यू-पीएचसी, गैर-मेट्रो शहरों (5 लाख से अधिक की जनसंख्या) में प्रत्येक 2.5 लाख की आबादी पर एक यू-सीएचसी और मेट्रो शहरों में प्रत्येक 5 लाख की आबादी पर एक यू-सीएचसी की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, प्रथम रेफरल यूनिट, उप-जिला अस्पताल

(एसडीएच) और जिला अस्पताल (डीएच) ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मध्यम परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचालनरत उप-केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी, उप-मंडल अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की गई औसत आबादी का विवरण निम्नलिखित आरएचएस 2021-22 लिंक पर देखा जा सकता है:

https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में समान, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के तहत रिकॉर्ड आफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

(घ): देश में प्रचालनरत ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों की संख्या का विवरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, ओडिशा में जिलेवार सहित, आरएचएस 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

https://hmis.mohfw.gov.in/downloadfile?filepath=publications/Rural-Health-Statistics/RHS%202021-22.pdf

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय राशि और व्यय **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(च): वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 तक एनएचएम के तहत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु अनुमोदित और व्यय का ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय राशि और व्यय

लाख रु. में

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		जारी केंद्रीय राशि	व्यय	जारी केंद्रीय राशि	व्यय	जारी केंद्रीय राशि	व्यय	जारी केंद्रीय राशि	व्यय	जारी केंद्रीय राशि	व्यय
1	अंडमान व निकोबार दवीप समूह	18.05	41.49	34.92	41.66	36.91	42.68	43.68	31.20	45.26	42.28
2	आंध्र प्रदेश	1,081.29	1,658.07	1,111.07	1,820.15	1,097.81	2,385.48	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34
3	अरुणाचल प्रदेश	216.92	168.74	185.95	186.21	243.04	209.06	188.53	248.51	233.82	424.78
4	असम	1,381.51	1,571.54	1,749.24	1,856.33	1,807.48	1,846.86	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00
5	बिहार	1,409.78	1,788.82	1,510.68	2,842.26	1,814.63	2,415.34	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81
6	चंडीगढ़	27.06	30.42	22.77	20.97	22.21	19.52	17.47	26.86	38.09	26.98
7	छत्तीसगढ़	875.10	1,138.90	816.07	1,464.47	979.41	1,521.30	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45
8	दादरा एवं नगर हवेली	23.46	23.15	25.33	23.67	36.39	35.74	38.59	45.02	58.28	41.61
	दमन और दीव	11.76	14.67	16.79	11.36						
9	दिल्ली	154.23	156.47	138.74	173.28	125.73	210.83	127.37	237.79	35.15	298.11
10	गोवा	33.96	46.23	35.47	58.47	34.81	67.43	26.01	60.56	55.42	84.64
11	गुजरात	1,038.69	1,793.63	1,110.80	1,864.73	1,005.66	1,894.46	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35
12	हरियाणा	538.83	705.96	567.71	792.64	531.50	829.12	577.07	879.91	681.21	1,185.43
13	हिमाचल प्रदेश	345.43	441.38	504.84	469.60	441.94	425.58	555.09	525.09	494.65	567.83
14	जम्मू और कश्मीर	556.46	573.12	702.20	662.56	667.46	657.53	459.10	779.61	651.52	917.02
15	झारखंड	616.23	1,039.07	830.63	1,090.11	602.80	999.71	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17
16	कर्नाटक	1,254.82	1,942.61	1,173.77	2,384.28	1,232.19	2,320.37	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94
17	केरल	887.90	1,074.25	836.14	1,023.94	788.22	1,457.75	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96
18	लक्षद्वीप	6.58	5.85	6.16	6.55	7.11	6.99	8.41	7.26	9.97	9.29
19	मध्य प्रदेश	1,668.09	2,531.87	1,728.73	3,102.89	2,377.14	3,397.82	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15
20	महाराष्ट्र	1,565.98	2,714.86	1,724.99	3,097.08	1,833.59	3,503.62	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75
21	मणिपुर	147.09	146.46	185.65	196.06	189.49	112.79	95.59	154.09	61.40	214.69
22	मेघालय	145.06	159.81	141.17	166.24	202.63	213.36	282.46	227.08	261.56	319.08
23	मिजोरम	118.36	125.46	127.24	105.70	143.73	131.36	93.82	153.16	111.82	135.33
24	नगालैंड	132.11	142.55	123.23	130.37	188.21	159.72	126.66	192.16	91.38	161.93
25	ओडिशा	743.57	1,673.91	1,475.14	2,220.82	1,617.63	2,347.24	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50
26	पुदुच्चेरी	38.16	40.13	31.56	44.21	25.55	47.32	21.33	46.36	20.73	48.51
27	पंजाब	570.51	739.07	712.02	923.31	568.14	908.98	349.21	918.96	448.89	1,054.39
28	राजस्थान	1,667.00	2,309.53	1,781.83	2,559.51	2,000.58	2,943.21	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21
29	सिक्किम	45.22	59.38	53.55	54.84	70.13	52.06	51.86	46.06	73.30	88.69
30	तमिलनाडु	1,479.71	2,533.41	1,424.22	2,557.62	1,522.71	2,172.33	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84
31	तेलंगाना	713.43	1,078.70	964.34	949.96	671.88	1,354.93	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93
32	त्रिपुरा	186.52	199.86	239.47	208.37	225.91	249.74	217.95	237.24	231.90	287.20
33	उत्तर प्रदेश	3,886.70	6,871.79	4,749.05	7,453.90	3,772.95	7,080.45	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29
34	उत्तराखंड	297.18	491.87	348.83	504.02	583.25	503.53	553.47	606.07	505.01	647.13
35	पश्चिम बंगाल	1,116.09	2,236.34	1,749.32	2,340.84	1,895.01	2,598.62	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86
36	लद्दाख	-	-	-	-	91.89	38.56	44.79	62.81	94.95	109.67

टिप्पणी:
1. उपर्युक्त जारी राशि केंद्र सरकार से संबंधित हैं जिसमें अनुदान और राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में वर्ष की शुरुआत में जारी केंद्रीय राशि, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष राशि के व्यय शामिल है।
3. व्यय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
4. जम्मू और कश्मीर राज्य को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पुनर्गठित करने के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को एनएचएम धनराशि वितरित की गई।

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु राज्य-वार एसपीआईपी और व्यय

लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	133.00	59.76	159.00	2.52	2.00	3.70
2	आंध्र प्रदेश	14,399.00	44,164.00	2,332.75	2,462.75	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	2,828.89	1,893.17	5,634.45	4,386.79	4,727.02	6,559.11
4	असम	32,971.23	18,041.83	23,372.48	15,506.43	35,806.76	9,406.43
5	बिहार	36,045.62	22,938.18	37,358.15	12,848.02	98,944.23	35,877.90
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	14,343.63	10,010.36	14,665.83	3,809.60	7,549.77	6,767.11
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5.76	2.39	2.88	-	2.88	-
9	दिल्ली	-	0.62	500.00	34.31	-	257.53
10	गोवा	115.80	12.85	124.75	54.06	232.06	108.66
11	गुजरात	1,075.17	1,096.30	675.30	328.43	4,599.10	-
12	हरियाणा	16,762.37	803.45	12,613.42	611.35	8,295.83	8,719.42
13	हिमाचल प्रदेश	8,731.00	3,067.99	3,547.39	3,149.75	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	4,363.21	2,086.11	3,368.53	560.09	1,535.16	451.73
15	झारखंड	10,493.20	4,948.99	2,352.00	2,370.65	9,200.00	3,645.07
16	कर्नाटक	16,083.05	20,908.13	15,103.25	15,441.70	7,113.93	4,917.32
17	केरल	10,734.71	6,156.16	5,837.16	4,472.99	12,632.88	5,270.20
18	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	53,115.51	29,182.37	22,886.44	13,001.87	18,058.74	21,048.57
20	महाराष्ट्र	47,508.02	39,002.64	54,147.40	20,219.84	58,844.37	23,395.90
21	मणिपुर	2,602.17	262.77	2,858.45	680.94	1,779.93	44.62
22	मेघालय	1,282.00	628.34	1,609.04	209.92	1,002.97	755.75
23	मिजोरम	557.00	205.91	18.00	4.30	3.30	3.30
24	नगालैंड	3,855.33	557.28	1,005.04	1,367.04	3,068.98	1,110.37
25	ओडिशा	20,665.69	35,920.28	32,219.80	34,479.62	60,725.53	81,628.87
26	पुदुच्चेरी	4.00	116.60	22.80	-	-	5.44
27	पंजाब	8,925.00	6,541.42	5,141.90	3,499.20	799.50	21.32
28	राजस्थान	94,252.62	31,238.99	82,158.82	13,969.16	55,662.72	26,254.00
29	सिक्किम	376.68	360.78	371.20	224.27	31.17	5.30
30	तमिलनाडु	32,950.88	30,750.18	24,531.73	26,263.31	51,962.61	38,407.81
31	तेलंगाना	13,970.07	9,798.65	7,512.13	12,838.82	11,386.59	15,419.39
32	त्रिपुरा	4,491.00	3,426.15	4,874.00	4,206.21	4,828.00	4,080.46
33	उत्तर प्रदेश	144,397.66	25,405.50	122,539.96	11,687.43	37,590.00	17,040.72
34	उत्तराखंड	10,428.68	7,933.71	12,955.74	14,889.74	9,544.10	4,820.47
35	पश्चिम बंगाल	17,727.50	10,424.84	7,851.58	1,604.29	9,298.13	612.80
36	लद्दाख	3,240.67	518.06	3,125.00	470.95	2,680.95	1,215.87

टिप्पणी:

1. व्यय में वर्ष की शुरुआत में जारी केंद्रीय राशि, राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष राशि का व्यय शामिल है।
2. उपरोक्त आंकड़े राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।

*****